न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 394/2025

अखिल शर्मा, ग्रा0पो0 चूडी अजीतगढ, तहसील मण्डावा, पिन कोड 333701, मो0न0 7023500524

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 06.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 394/2025 पर दिनांक 16.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4291—92 दिनांक 16.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक आरटीआई/2025/45 दिनांक 01.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही सूचना उसे कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/68 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक आरटीआई/2025/45 दिनांक 01.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही सूचना उसे कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2025/68 दिनांक 15.09.2025 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं